वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला पंचायत कार्यालय)

आदेश

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-3प/विविध-17-20/2018-4046/ पं0रा0 पटना, दिनांक-25.07.2018 के आलोक में जिला स्तरीय नियोजन समिति की बैठक दिनांक-30.11.19 में लिए गए निर्णय के आधार पर लेखापाल-सह-आई.टी. सहायक के 72 स्वीकृत पद के विरूद्ध कुल 27 अभ्यर्थियों एवं जिला स्तरीय नियोजन समिति की बैठक दिनांक-10.01.2020 में लिए गए निर्णय के आधार पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के सत्यापन के उपरान्त चयनित किया गया था। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली द्वारा लेखापाल-सह-आई.टी. सहायक अभ्यर्थियों के विभिन्न संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के सत्यापन के प्रतिवेदन के आधार पर नियोजन करते हुए निम्नवत प्रखंडों में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0सं0	पी.आर.डी. संख्या	नाम	पिता का नाम	गृह प्रखंड	आंवटित प्रखंड कार्यालय
1	25	संजीव कुमार	राम प्रवेश गुप्ता	चेहराकलां	पातेपुर
2	31	आनंद प्रकाश	महेश्वर सिंह	वैशाली	चेहराकलां
3	34	नूतन कुमारी	देवेन्द्र कुमार सिंह	हाजीपुर	वैशाली
4	52	शुभ्रा राज	रेवती रमण महतो	हाजीपुर	बिदुपुर
5	56	मनीष कुमार	उमा शंकर प्रसाद	पटना	चेहराकलां
6	57	अर्पणा कुमारी	इंद्रासन सिंह	हाजीपुर	जन्दाहा
7	73	श्वेता कुमारी	राजा राम यादव	पटना	भगवानपुर
8	78	इन्द्रजीत कुमार	योगेन्द्र शर्मा	हाजीपुर	देसरी
9	82	मो0 दानिश	मो0 यासिन	आरा(भोजपुर)	राघोपुर
10	84	अरविन्द कुमार	रामनाथ राय	पटेढ़ी बेलसर	पातेपुर
11	100	सुनील कुमार	रामखेलावन पासवान	गोरौल	जन्दाहा
12	123	सुचिता कुमारी	सुमंत कुमार सुमन	हाजीपुर	बिदुपुर
13	124	संगीता कुमारी	लक्ष्मी प्रसाद सिंह	बिदुपुर	सहदेई बुजुर्ग
14	143	कार्तिक कुमार शर्मा	परमेश्वर शर्मा	नगरा(सारण)	लालगंज
15	163	आकाश कुमार	जवाहर रजक	भगवानपुर	पटेढ़ी बेलसर

उपरोक्त लेखापाल-सह-आई.टी. सहायक का चयन/नियोजन निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है :-

1. उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों का चयन सर्शत दिनांक-31 मार्च 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर सरकार के निदेश के आधार पर हीं अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
2. संविदा शर्तो के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा किया जाएगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को 03 (तीन) माह में कंप्यूटर दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज कार्यालय, वैशाली में समर्पित करना होगा।
4. आवंटित मुख्यालय में आवासन अनिवार्य होगा।

5. उपरोक्त सभी अभ्यर्थी अपने सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक- 27/3/20 तक जिला पंचायत कार्यालय, वैशाली में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा।

6. यह नियुक्ति उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये संबंधित प्रमाण पत्रों के आधार पर की जा रही है। यदि प्रमाण पत्रों की जाँच में किसी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी पायी जाती है, तो नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं तदनुसार नियमसंगत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

7. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे।

8. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

9. इस कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगी।

10. मानदेय :- इस कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल लेखापाल-सह-आई.टी.सहायक को 20,000/- रूपया प्रतिमाह का मानदेय अनुमान्य होगा।

11. मानदेय के आधार पर चयनित ये कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न हीं सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवकों में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

12. संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर जिला पंचायत कार्यालय के द्वारा मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

13. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

14. इस प्रकार नियोजित लेखापाल-सह-आई.टी.सहायकों को पंचायत/प्रखंड का आवंटन/स्थानांतरण अधोहस्ताक्षरी के आदेश के आधार पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली द्वारा किया जाएगा।

15. नियोजित अभ्यर्थियों को नियोजित के उपर्युक्त शर्तों के मानने संबंधी एकरारनामा एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

16. लेखापाल-सह-आई.टी.सहायक के निम्नवत् दायित्व होंगे :-

- संबद्ध ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित करना।
- अभिलेखों का विधिसम्मत संधारण सुनिश्चित कराना।
- ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना ।
- अंकेक्षण संपन्न कराना।
- सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।
- e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

- जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य आवंटित कार्यो को संपन्न कराना।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक- 378 / जिला पं0, दिनांक- 20/3/2020

प्रतिलिपि- सभी चयनित लेखापाल-सह-आई.टी. सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला आई.टी. प्रबंधक, वैशाली/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के अधिकारिक बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि- सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

20/3/2020
जिला पदाधिकारी,
वैशाली।